बिहार सरकार

उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :– **बिहार राज्य में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जन जाति के लाभुको को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रू0– 2,00,00,000.00 (दो करोड़ रू0) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 1134 दिनांक– 16.03.2018 एवं विभागीय संकल्प सं0–2315 दिनांक– 04.06.2018 में विभागीय संकल्प सं0–782 दिनांक–17.05.2018 के अनुरूप संशोधित करने के संबंध में।**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1134 दिनांक 16.03.2018 द्वारा बिहार राज्य में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रु0 2,00,00,000.00 (दो करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति आदेश को संशोधित करते हुए इस योजना की राशि को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमि योजना में समाहित कर दी गयी है। इस राशि का व्यय बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति उद्यमी योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम के द्वारा मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति योजना के कार्यान्वयन किये जाने के फलस्वरूप लाभार्थियों के बीच दो संस्थानों के होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तथा दो स्थानों में आधारभूत संरचना (स्वीकृति, राशि की विमुक्ति, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन) पर व्यय भार वहन करना पड़ रहा है, जिसका कुप्रभाव योजना के कार्यान्वयन पर पड़ रहा है।

अतः पूर्व में निर्गत संकल्प सं0 2315 दिनांक 04.06.2018 में इस हद तक संशोधन करते हुए अब बिहार राज्य खादी ग्रामद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति योजना का भी कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। बिहार राज्य खादी ग्रामद्योग बोर्ड, पटना को आवंटित राशि में से व्यय के उपरान्त अवशेष राशि एक मुश्त बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट को हस्तानान्तरित किया जायेगा।

अनुलग्नकः–

विभागीय संकल्प सं0 2315

दिनांक 04.06.2018 की प्रति।

27/8/2018

(डा0 एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3672 /पटना, दिनांक– 27-08-18

सं0स0– 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)–04/2018

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

27/8/2018

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3672 /पटना, दिनांक– 27-08-18

सं0स0– 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)–04/2018

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बार्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/2018

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3672 /पटना, दिनांक– 27-08-18

संoसo– 5/सo अनुo जाति (खाoबोo)–04/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(लेo एवं हकo), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3672 /पटना, दिनांक– 27-08-18

संoसo– 5/सo अनुo जाति (खाoबोo)–04/2018

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3672 /पटना, दिनांक– 27-08-18

संoसo– 5/सo अनुo जाति (खाoबोo)–04/2018

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एमoएसoएमoईoडीoआईo, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3672 /पटना, दिनांक– 27-08-18

संoसo– 5/सo अनुo जाति (खाoबोo)–04/2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3672 /पटना, दिनांक– 27-08-18

संoसo– 5/सo अनुo जाति (खाoबोo)–04/2018

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3672 /पटना, दिनांक– 27-08-18

संoसo– 5/सo अनुo जाति (खाoबोo)–04/2018

प्रतिलिपिः– आईo टीo मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/8/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।